कार्यालय
महिला एवं बाल विकास विभाग नारायणपुर
जिला – नारायणपुर

कमांक /338/मबावि/लेखा/2018–19 दिनांक 20.08.2018

प्रति,

प्रभारी अधिकारी (एनआईसी)
जिला – नारायणपुर (छ0ग0)

विषयः– वेब साईट में अभिरूची प्रस्ताव जारी करने विषयक्।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि जिला महिला एवं बाल विकास विभाग नारायणपुर अंतर्गत संचालित परियोजनाओं में शाला पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाले 3 से 6 वर्ष के बालक/बालिकाओं हेतु गणवेश प्रदाय किये जाना है जिस हेतु जिले में संचालित स्थानीय महिला स्व. सहायता समूह के माध्यम से गणवेश सिलाई कराया जाना हेतु जिले के इच्छुक स्थानीय महिला स्व. सहायता समूह से अभिरूची प्रस्ताव मंगाया जाना है आवेदन की अंतिम तिथि 07.08.2018 तक समय शाम 05:00 बजे कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास विभाग – नारायणपुर में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। सम्पूर्ण जानकारी के लिए कार्यालयीन सूचना पटल एवं नारायणपुर जिले के वेबसाइट **www.narayanpur@gov.in & www.cgstate.gov.in** पर देखी जा सकती है ।

अतः उक्त संबंध में वेब साईट में अभिरूची प्रस्ताव करने का कष्ट करेंगे।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
जिला– नारायणपुर (छ0ग0)

पृ.कमांक /338/मबावि/लेखा/2018–19 दिनांक 20.08.2018

प्रतिलिपिः–

1.कलेक्टर जिला – नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
जिला– नारायणपुर (छ0ग0)

Scanned by CamScanner

कार्यालय
महिला एवं बाल विकास विभाग नारायणपुर
जिला – नारायणपुर
//प्रेस विज्ञप्ति//

क्रमांक /336 /मबावि/लेखा/2018–19 नारायणपुर दिनांक .08.2018

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग नया रायपुर का पत्र क्रमांक /9964 / मबावि / आईसीडीएस–3 /2017–18 नया रायपुर दिनांक 09/02/2018 के एवं पत्र क्रमांक/एफ 3–45 / 2012 / मबावि /50 नया रायपुर दिनांक 03.07.2018 तहत् आंगनबाड़ी केन्द्रों में शाला पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाले 3 से 6 वर्ष के बालक/बालिकाओं हेतु गणवेश प्रदाय किये जाना है जिस हेतु जिले में संचालित स्थानीय महिला स्व. सहायता समूह के माध्यम से गणवेश सिलाई कराया जाना हेतु जिले के इच्छुक स्थानीय महिला स्व. सहायता समूह से अभिरूची प्रस्ताव मंगाया जाना है आवेदन की अंतिम तिथि 07.08. 2018 तक समय शाम 05:00 बजे कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास विभाग – नारायणपुर में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। सम्पूर्ण जानकारी के लिए कार्यालयीन सूचना पटल एवं नारायणपुर जिले के वेबसाइट **narayanpur@gov.in** पर देखी जा सकती है।

महिला स्व. सहायता के नियम निर्देश :–

1. स्थानीय महिला स्व. सहायता समूह होना चाहिए।
2. स्व. सहायता समूह का पंजीकृत होना अनिवार्य है।
3. समूह को सिलाई कार्य में परीपूर्ण होना चाहिए।
4. गणवेश में लगने वाले बटन, धागा, चैन, बकरम (कालम) आदि महिला स्व. सहायता समूहों को स्वयं व्यवस्था करना होगा।
5. गणवेश की सिलाई उक्त निर्धारित मापदण्ड सूची अनुसार किया जाना है।
6. गणवेश की सिलाई चैन,बटन,धागा वस्त्र के अनुसार मेचिंग रंग व बकरम आवश्यकता के अनुसार लगाने होगें।
7. ट्यूनिक/शर्ट/पेन्ट को प्रेसकर साईज अनुसार अलग–अलग पोलिथिन से पैक कर प्रदाय करने होगे।
8. गणवेश की साईजवार संलग्न अनुसार एक कार्टून बेल तैयार करने होगें। गणवेश का नाम ,साईज एवं नग संख्या होनी चाहिए।
9. समूह का बिल वाउचर होना अनिवार्य है।
10. संख्या कम या ज्यादा हो सकता है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
जिला– नारायणपुर (छ0ग0)

पृ.क्रमांक/ / मबावि/लेखा/2018–19 नारायणपुर दिनांक .08.2018

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर जिला नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
जिला– नारायणपुर (छ0ग0)

Scanned by CamScanner

प्रपत्र (अ)

शासन द्वारा निर्धारत मूल्य							
क.	वस्त्र का विवरण	वस्त्रों की संख्या	साईज का विवरण	वस्त्र का विवरण	वस्त्र की मात्रा (मीटर)	सिलाई लागत	रिमार्क
1	हाफ शर्ट	4800	22 से 26	पी.सी. शर्टिंग 36	1.30	15.00	
2	हाफ पेन्ट	2500	22 से 26	पी.सी. सूटिंग 36	0.65	30.00	
3	ट्यूनिक	2300	22 से 26	पी.सी.ट्यूनिक 36	1.20	18.00	

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
जिला – नारायणपुर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र (ब)

समूह द्वारा मूल्य निर्धारण प्रपत्र							
क.	वस्त्र का विवरण	वस्त्रों की संख्या	साईज का विवरण	वस्त्र का विवरण	वस्त्र की मात्रा (मीटर)	सिलाई लागत	रिमार्क
1	हाफ शर्ट	4800	22 से 26	पी.सी. शर्टिंग 36	1.30		
2	हाफ पेन्ट	2500	22 से 26	पी.सी. सूटिंग 36	0.65		
3	ट्यूनिक	2300	22 से 26	पी.सी.ट्यूनिक 36	1.20		

Scanned by CamScanner